न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–626/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00826)

1. हरिसिह पुत्र श्योनारायण जाति हरिजन निवासी मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. आवंटन कमेटी जरिये उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर राजस्थान।
2. आवंटन कमेटी कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
3. मखनिया पुत्र बंशी (मृतक)
   - 3/1. हरद्वारी,
   - 3/2. दलीप,
   - 3/3. सूरतसिह,
   - 3/4. हरपाल सिंह,
   - 3/5. कालुराम,
   - 3/6. सतीश पुत्रान मखनिया,
   - 3/7. प्रदीप पुत्र मखनिया(मृतक)
   - 3/7/1. सुनिता बेवा प्रदीप,
   - 3/7/2. रूपेश पुत्र प्रदीप(नाबालिंग)
   - 3/7/3. अन्नु पुत्री प्रदीप(नाबालिंग) जरिये सरपरस्त माता सुनिता बेवा प्रदीप जाति मेघवाल निवासीयान मीरपुर तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री भॅवरसिह शेखावत, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री विजयसिंह राठौड़ एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 लगायत 3/7/3 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 27.09.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.01.2008 जिस आदेश के जरिये अवैध व गैरकानूनी तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में गलत व फर्जी रिकार्डस के आधार पर दिनांक 01.01.2008 को अवैध रूप से सनद जारी की गई जिसे निरस्त किये जाने एवं आवंटन आदेश दिनांक 12.012.2007 व सनद दिनांक 01.01.2008 की अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि आराजी खसरा नम्बर 471 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा अपीलान्ट को खिचडिया पुत्र बंशी जाति हरिजन साकिन मीरपुर से जरिये

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

वसीयत प्राप्त हुई थी, उक्त आराजी खसरा नम्बर 471 के हाल खसरा नम्बर 755 व 756 बने, उक्त खसरा नम्बरान का पट्टेदार वसीयतकर्ता खिचडिया पुत्र बंशी बिला औलाद फौत हो गया था जो उक्त आराजी बाद वसीयत अपीलान्ट की हुई चूँकि सिचडिया पुत्र बंशी ने अपीलान्ट को वसीयत की थी उसके सेवा व सार संभाल अपीलान्ट ही करता था, वसीयत के बाद उक्त आराजी पर अपीलान्ट ही काबिज व दाखिल चला आ रहा है, उक्त आराजी की समस्त किस्ते वसीयतकर्ता खिचडिया पुत्र बंशी ने ही समय–समय पर भर रहा था, केवल 27.50 रूपये देना शेष था जबकि साबिक जमाबन्दीयॉं भी अपीलान्ट वसीयतकर्ता के नाम थी, इस प्रकार तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़बास राजस्थान द्वारा जो पट्टा दिया गया था के वसीयतकर्ता खिचडिया पुत्र बंशी के नाम था उपरोक्त पट्टे पर मिली जमाबन्दीयॉं पर 2018–22 व पूर्व में तथा इसके बाद वसीयतकर्ता के नाम सभी रिकार्डस है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों पर बिना कोई गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2011 पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मखनिया पुत्र बंशी ने अपीलान्ट के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम अलवर के न्यायालय में दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाई दवामी उन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया है जिसके पेरा संख्या 1 में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने स्वीकार किया है साबिक खसरा नम्बर 471 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम मीरपुर खिचडिया पुत्र बंशी जो हम तीनों भाईयों में सबसे बड़ा व कर्ता परिवार होने के कारण उक्त आराजी अकेले खिचडिया पुत्र बंशी को आवंटन हुई जिसकी नकल भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर उपलब्ध है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2011 पारित किया है जो अवैध तथा बातिल व बेअसर होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2011 को अपास्त किया जावें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष मे गलत व फर्जी रिकार्डस के आधार पर दिनांक 01.01.2008 को जारी सनद व आवंटन आदेश दिनांक 12.12.2007 निरस्त की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/7/3 ने कथन किया है कि खीचडिया पुत्र बंशी द्वारा अपीलान्ट को कभी कोई वसीयत नही कराई गई तथाकथित वसीयत फर्जी व बनावटी है जिसे आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय से प्रमाणित नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत पर विश्वास किया जाना संभव नही है, आराजी खसरा नम्बर 756 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा पर कभी खीचडिया पुत्र बंशी व अपीलान्ट का कोई कब्जा नही रहा और ना ही मौके पर काबिज व दाखिल है बल्कि आराजी खसरा नम्बर 756 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा पर रेस्पोडेन्ट मंखनिया के वारिसान का कब्जा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है और वक्त आवंटन से आज तक कब्जा चला आ रहा है अपीलान्ट हरिसिह पुत्र श्योनारायण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध, वास्ता सरोकार नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/7/3 ने कथन किया है कि विवादित आराजी तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़बास अलवर द्वारा पट्टे पर दी गई थी जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि थी और कस्टोडियन भूमि कीमतन आवंटित की जाती है और कस्टोडियन भूमि जो तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा आवंटन की जाती है इसके विरूद्ध अपील कलक्टर कम सैटलमेन्ट कमीश्नर के यहॉ मैन्टेनेबल है लेकिन अपीलान्ट द्वारा अपील जिला कलक्टर के यहॉ दायर की गई थी और अपीलान्ट के द्वारा अपील के पैरा संख्या 8 के मुताबिक प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान आवंटन नियम 1970 के तहत संशोधित कराया था इस प्रकार कस्टोडियन भूमि जो तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा आवंटन व पट्टे की कार्यवाही की जाती है उसके विरूद्ध 14(4)का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 लगायत 3/7/3 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 756 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम मीरपुर का आवंटन व सनद विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व कानूनगो की मौका रिपोर्ट व जांच करने के पश्चात् जारी किया गया है और पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट मखनिया का कब्जा है। ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारी व अधिकारी की रिपोर्ट को गलत करार नही दिया जा सकता है तथा अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया जिससे रिपोर्ट को गलत करार दिया जा सके। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि वसीयत से यह प्रमाणित नही है कि वसीयत किस आराजी व किस जायदाद की, की गई है और उक्त वसीयत में आराजी खसरा नम्बर 756 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का कोई हलावा दिया हुआ नही है और जहॉ तक वसीयत को प्रमाणित व साबित करने का प्रश्न है, वह राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। तथाकथित वसीयत अपीलान्ट को किस हैसियत से की गई इस तथ्य को भी अपीलान्ट ने साबित नही कराया है और ना ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में सही विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2007 के अनुसार वादग्रस्त आराजी मक्खनीया पुत्र बंशी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एवं मौके

P.T.O.

पर उक्त आराजी पर मक्खनिया पुत्र बंशी का ही कब्जा काश्त है जिसके आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने सम्बन्धी आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासित द्वारा दिनांक 12.12.2007 को पारित किये गये है एवं उक्त भूमि की कीमत जमा कराये जाने के पश्चात् ही सनद जारी की गई है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थी के पक्ष में खिचडिया पुत्र बंशी द्वारा एक वसीयत की गई है किन्तु उक्त वसीयत में कही भी वादग्रस्त आराजी का अंकन नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त वसीयत वादग्रस्त आराजी की ही हो। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2011 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2011 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।